

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 28 /04/2026

सं०सं०-14/पद०-703/2025- 7430


/सा०प्र०, बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित

बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री नवीन कुमार, 364/26, पटना	बन्दोबस्त पदाधिकारी, रोहतास।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर।
2.	श्री नीरज कुमार दास, 335/26, सुपौल	बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर।
3.	मो० मुश्तकीम, 392/26, बेगूसराय	बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा।

2. उपर्युक्त सभी पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार के पद पर योगदान करते हुए इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-14/पद०-703/2025-सा०प्र०- 7430

/पटना-15, दिनांक-28/04/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।